प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद।

सेवामें,

प्रबन्धक,
बी0आर0मेमोरियल जू0हा0स्कूल
न्याय नगर धूमनगंज इलाहाबाद।

पत्रांक अनु09 /जू0हा0स्कूल/मान्यता/स्थायी/2569-2576/2001-02 दिनांक
दिनांक 30-06-2001

विषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 08 तक) को अस्थायी से स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या646/15-6-97-18(7)/89 दिनांक 13 अगस्त 1997 के अन्तर्गत जू0हा0स्कूलों की मान्यता के नियमों,शर्तों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन के अनुसार गठित मान्यता समिति की बैठक दिनांक 22-5-2001 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 01 से 08 तक की स्थायी मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदत्त की जाती है। कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति को इस निर्णय पर पुनः विचार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

1- विद्यालय में एक विज्ञान और भाषा का अध्यापक अनिवार्य रूप से होंगे।

2- विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पद आरक्षण के नियमों के आलोक में भरा जाय।

3- शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन किया जाय।

4- विज्ञान मद में प्रत्येक छमाही 250/- जमा कराया जाय।

5- शिक्षा विभाग द्वारा नियमित दरों के अनुरूप शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा-जोखा उचित रूप से रखा जाय। निधि डाक घर में या अनुसूचित बैंक में जमा किया जाय। विद्यालय में अस्वीकृत पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6- विद्यालय में परि[illegible] विहित पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्य क्रम में न तो शिक्षा दी जाय और नहीं पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाय।

7- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने प्रत्येक अध्यापक या कर्मचारी को वही वेतन मान, महगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महगाई भत्ते देने का जिम्मेदार जो परिषद के समान आने वाले अध्यापकों व कर्मचारियों को [illegible] है।

[illegible]- सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना [illegible] अध्यापक [illegible] पद के वर्ग उपवर्ग न बन्द किया जायेगा और न रोका जायेगा, न समाप्त किया जायेगा, न स्थानान्तरण किया जायेगा, न [illegible] जायेगा।

9- विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि हिन्दी होगा।

पेज 2/-

Manager

PRINCIPAL